न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 03 / 2021
जीसीएमएस न :– 2021 / 112
दायर दिनांक :– 15–12–2021
निर्णय दिनांक :– 25–04–2022

अनवान

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

श्री राजुराम, नाथी पिता जालु बलाई निवासी चेता पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्व भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ– भूमि आवंटन)नियम 1970 दिनांक 29.10.1977 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम

उपस्थित :–

1– श्री अनिल बागौरा ,राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री भोपाल सिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक :–25–04–2022

प्रार्थी ने अप्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, भीम के द्वारा दिनांक 29.10.2077 को तहसील देवगढ के राजस्व ग्राम कामली के पुराने खसरा नम्बर 548 एवं हाल खसरा नम्बर 664 रकबा 0.4300 हैकटेयर (2 बीघा) भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन किये जाने से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) अन्तर्गत राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि का आवंटन महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए करवाया है, और आवंटन के जरिये भूमि प्राप्त करने की नाजायज कुचेष्ठा की गई है। उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम कामली के पुराने खसरा नम्बर 548 एवं हाल खसरा नम्बर 664 रकबा 0.4300 हैकटेयर (2 बीघा) भूमि नगरपालिका देवगढ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आती है। उक्त भूमि पाली–भीलवाडा राज्य राजमार्ग की सडक सीमा में आती है। उक्त भूमि पर आवंटन से आज तक खातेदारों द्वारा किसी प्रकार का कोई

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

भूमि सुधार सम्बन्धित कार्य नहीं किया जाकर आवंटन की शर्तो का उल्लघन किया है। उक्त भूमि पर पीर बावजी का स्थान बना हुआ है। इस स्थान के पूर्व दिशा की तरफ मौके पर श्री भंवरलाल पुत्र नाथुराम सालवी का कब्जा है। उक्त भूमि पर भौतिक रूप से आवंटन के बाद से आज तक खातेदारों का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं केवल नजरी कब्जा जाहिर करते हैं। जो नियमों के विपरीत होनें से अप्रार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का कामली द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कामली के वर्तमान आराजी नम्बर 664 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि श्री राजुराम, नाथी पिता जालु बलाई निवासी कामली के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता जालु पिता रामा बलाई निवासी कामली को नियम विरूद्ध आवंटित की गई थी उक्त भूमि नगरपालिका देवगढ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आती है। उक्त भूमि पाली–भीलवाडा राज्य राजमार्ग की सडक सीमा में आती है। उक्त आवंटन से पूर्व आवंटन कमेटी द्वारा कोई उदघोषणा जारी नही कराई गई। कमेटी का कोरम पूर्ण नहीं होते हूए आवंटित की गई है, उक्त भूमि पर आवंटन से आज तक खातेदारों द्वारा किसी प्रकार का कोई भूमि सुधार सम्बन्धित कार्य नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर पीर बावजी का स्थान बना हुआ है। इस स्थान के पूर्व दिशा की तरफ मौके पर श्री भंवरलाल पुत्र नाथुराम सालवी का कब्जा है। उक्त भूमि पर भौतिक रूप से आवंटन के बाद से आज तक खातेदारों का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं केवल नजरी कब्जा जाहिर करते हैं। उक्त भूमि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार आवंटन योग्य नहीं है, यदि कोई भूमि किसी भी कस्बे की नगर पालिका सीमा या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य किसी पकी या कंकरीट सडक के मध्य से 50 गज के अन्तर्गत आती है तो उक्त भूमि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ हेतू आवंटित नही की जा सकती है। साथ ही राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाना आवश्यक है। परन्तु उक्त आवंटन में आवंटन सलाहकार समिति का परामर्श लिए बिना आवंटित की गई है साथ ही आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण किए बिना आंवटीत की गई है जिसके सन्दर्भ में अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा सी0एल0जे0 2009 पेज 208, आर0आर0डी0 2005 पेज 629, आर0आर0डी0 1993 पेज संख्या 652, आर0आर0डी0 1995 पेज 340 आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 34 व आर0 आर0 टी0 2002 (1) पेज 369 के उदाहरण प्रस्तुत कर कथन किया कि नियम 13(3) की पालना में विधायक, प्रधान व सरपंच मे से एक जनप्रतिनिधि के रूप में कम से कम एक सदस्य होना चाहिए तथा कोरम कम से कम तीन सदस्यों का होना आवश्यक है। परन्तु उक्त मामले के आवंटन में न तो जन प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित है न ही तीन सदस्यों के

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

कोरम उपस्थिति में आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन की भूमि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार आवंटन हेतू उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी आवंटित की गयी है। जो नियम विरूद्ध है, तथा राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 13(3) की पालना किये बिना आवंटित की गयी है, जो नियम विरूद्ध है। तथा उक्त भूमि को आवंटित होने के पश्चात अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का भूमि सुधार नहीं किया है, तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का वर्तमान में किसी प्रकार का कब्जा आधिपत्य नहीं है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.10.2018 को कार्यालय जिला कलक्टर (सतर्कता) राजसमन्द को खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जेधारियों को चिन्हित कर बेदखली करने बाबत् प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा आधिपत्य नहीं है। साथ ही खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 से 2077 तक में उक्त भूमि पडत दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जो आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लघन है। इसलिये उक्त आवंटन नियमों के विरूद्ध होने व आवंटन के शर्तो की पालना नहीं होने से खारीज किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए लिखित बहस में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 29.10.1977 को विपक्षी राजुराम, नाथी के पिता जालु पिता रामा को राजस्व ग्राम कामली की आराजी नम्बर 548 रकबा 04,05 में से 2.00 बीघा भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटन के आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 199 दिनांक 29.10.1977 को भूमि आवन्टी जालु पिता रामा के नाम गैर खातेदारी में खसरा संख्या 548/1 रकबा 2.00 बीघा दर्ज की गई। उक्त आवंटन दिनांक से विपक्षी के पिता का उक्त आराजी नम्बर 548/1 रकबा 2.00 बीघा पर कब्जा होकर उस पर जमीन के उपजाउपन के अनुरूप फसल बोते आ रहे है जिसका विवरण 2042 से 2045 की खसरा गिरदावरी में अकिंत है। उक्त आराजी संख्या 548/1 पर विपक्षीगण के पिता जालु का कब्जा उनकी मृत्यु तक रहा। जालु की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त भूमि का कब्जा विपक्षीगण को प्राप्त हुआ। जालु की मृत्यु सन् 1999 में हुई। जालु की मृत्यु के पश्चात् सन् 1999 में हुई। जालु जी की मृत्यु के पश्चात् विपक्षीगण का उक्त आराजी नम्बर 548/1 पर कब्जा होकर विपक्षीगण उस पर मक्की, जवार की फसल बोते आ रहे है। जालु की मृत्यु हो जाने के पश्चात् विपक्षी गण द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम दिनांक 28.05.2018 को सही करवाया। उक्त आराजी के वर्तमान में नये नम्बर 664 रकबा 0.4300 हैक्टेयर है। उक्त भूमि विपक्षीगण के कब्जे काश्त में रहने के दौरान उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर भॅवरलाल सालवी पिता नाथूराम सालवी द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई इसके संबंध में जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राजसमन्द को रिपोर्ट पेश की इसके पूर्व दिनांक 10.03.2018 को पूलिस थाना देवगढ में रिपोर्ट पेश की। भॅवरलाल द्वारा उक्त आराजी के कुछ हिस्से में मजार बनाकर पक्का निर्माण कर दिया । विपक्षी राजुराम व नाथी के विरूद्ध उक्त आंवटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष भॅवरलाल सालवी द्वारा प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

उक्त प्रार्थना पत्र को अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 06.12.2019 को खारीज कर दिया गया तथा राजुराम, नाथी को निर्देशित किया कि वह अपने खातेदारी अधिकारो के लिये विधि सम्मत कार्यवाही करे। दिनांक 11.06.2018 को उपखण्ड अधिकारी देवगढ के आदेश दिनांक 08.062018 की अनुपालना में पटवारी हल्का कामली द्वारा उक्त आराजी का मौका पर्चा बनाया जिसमें उक्त भूमि पर विपक्षी राजूराम का कब्जा दशार्या गया है एवं मजार का स्थान भी बताया गया है। तहसीलदार देवगढ द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की उल्टा राजुराम, नाथी को उक्त भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र झूठे एवं गलत आधारो पर प्रस्तुत कर दिया जबकि उक्त आराजी पर विपक्षीगण एवं उनके पिता का कब्जा आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक चला आ रहा है। अतः तहसीलदार देवगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधिवक्तागणों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात् स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, भीम के द्वारा दिनांक 29.10.2077 को तहसील देवगढ के राजस्व ग्राम कामली के पुराने खसरा नम्बर 548 एवं हाल खसरा नम्बर 664 रकबा 0.4300 हैकटेयर (2 बीघा) भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 तथा नियम 13(3) की पालना किए बिना आवंटित कर दिया गया है जो नियमानुसार नहीं है क्योंकि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार उक्त भूमि देवगढ नगरपालिका क्षेत्र के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आती है। साथ ही उक्त भूमि पाली– भीलवाडा राजमार्ग की सडक सीमा में आती है, जिसकी पुष्टी आवंटन के समय के नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रदर्शित है कि उक्त आराजी संख्या 548 मुख्य सड़क पर स्थित होकर नियम 4 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ हेतू भूमि आवटंन के लिए उपलब्ध नहीं होने वाली भूमि के अन्तर्गत आती है तथा उक्त आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 (3) के विरूद्ध जाकर किया गया है। उक्त आवंटन पत्रावली पर आवंटन सलाहकार समिति का न तो परामर्श लिया गया है, और नही आवंटन सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन नियम विरूद्ध जाकर बिना कोरम पूर्ण किये व बिना आवंटन सलाहकार समिति का परामर्श लिये किया गया है जो नियम विरूद्ध होकर अवैध है। साथ ही उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा प्रतीत नहीं होता है, क्योकि अप्रार्थी द्वारा स्वयं जिला कलक्टर (सतर्कता) राजसमन्द पर शिकायत दर्ज कराता है कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जेधारियों को चिन्हित कर बेदखली किया जावे, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा आधिपत्य नहीं है, अप्रार्थीगण द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि पीर बाबा की मजार बनी हुई है, व खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 से 2077 तक से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पडत है उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का भूमि सुधार कार्य नहीं किया गया है, आज भी उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

गैरखातेदारी के रूप मे ही दर्ज है, जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि के सन्दर्भ अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कि जा रही है। उक्त स्थिति से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ हेतू आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होने से के उपरांत भी कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई तथा आवंटन प्रकिया में भी कोरम पूर्ण नहीं होते हुए भी विवादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण के पिता को जालु को आवंटित की गई जो कि विधि विरूद्ध होने से तथा अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन नियम की शर्तो की पालना नहीं की गई है जिस कारण से भी अप्रार्थीगण के पिता जालु जी को विवादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है, जो कि निरस्त होने योग्य है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण राजुराम, नाथी के पिता जालु पिता रामा को उपखण्ड अधिकारी, भीम के द्वारा दिनांक 29.10.2077 को तहसील देवगढ के राजस्व ग्राम कामली के आराजी नम्बर 548 रकबा 04=05 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि (जिसके वर्तमान आराजी संख्या 664 रकबा 0.4300 हैक्टेयर होकर अप्रार्थीगण राजुराम, नाथी पिता जालू के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज है) के आवंटन को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। एवं तहसीलदार देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहकसरकार लिया जाकर राजस्व अभिलेख में पूनः पूर्ववत अंकन किया जावे।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द